उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ

पत्रांकः 191/मु0अभि0(अ–3)/कैम्प/1019/16 दिनांक 18.06.2016 द्वारा विज्ञापित

नैत्यिक लिपिक एवं आशुलिपिक (ग्रेड–4) के पद पर नियुक्ति हेतु विस्तृत सूचना

ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि	21.06.2016
ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन समाप्त होने की तिथि	11.07.2016
चालान द्वारा आवेदन शुल्क बैंक में भुगतान करने की अंतिम तिथि	12.07.2016

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा नैत्यिक लिपिक के वेतनमान रूपये 5200–20200 तथा ग्रेड पे–रूपये 1900 के कुल 335 पदों एवं आशुलिपिक (ग्रेड–4) के वेतनमान – रूपये 5200–20200 तथा ग्रेड पे–रूपये 2800 के कुल 63 पदों की नियुक्ति के सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है। इन पदों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है।

कमांक	पद का नाम	कुल पद	समान्य वर्ग हेतु	अन्य पिछडा वर्ग हेतु	अनु0जाति हेतु	अनु0 जनजाति हेतु
1	नैत्यिक लिपिक	335	168	90	70	07
2	आशुलिपिक ग्रेड–4	63	32	17	13	01

क्षैतिज आरक्षण के विरूद्ध आरक्षित पदों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार हैः–

कमांक	पद का नाम	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये पदों की संख्या	भूतपूर्व सैनिकों के लिये पदों की संख्या	महिलाओं के लिये पदों की संख्या	विकलांग जनों के लिये	
					पदों की संख्या	श्रेणी जिस हेतु आरक्षण उपलब्ध है
1	नैत्यिक लिपिक	07	17	67	10	ओ0एल0, ओ0ए0, बी0एल0, पी0डी0 एवं पी0बी0
2	आशुलिपिक ग्रेड–4	01	03	13	02	ओ0एल0, बी0एल0 एवं पी0बी0

जो अभ्यर्थी उक्त दोनो पदो के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पदवार अलग–अलग आवेदन करना होगा।

2:– ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना–

''ऑनलाइन आवेदन'' करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों को भली–भांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

कैसे आवेदन करें:–

1. अभ्यर्थी केवल वेब साइट पर उपलब्ध लिंक **http:upjn.org/.** पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अभ्यर्थी आवेदन फार्म भरने से पूर्व नीचे दिये गये निर्देशों एवं सामान्य निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन फार्म भरेंगे। आवेदन पत्र भरने के संबंध में अन्य सामान्य सूचनाएं/निर्देश विज्ञप्ति में दी गयी है।

   किसी प्रकार की असुविधा, भीड़ या आकस्मिक कठिनाईयों से बचने के लिये अभ्यर्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किये बिना अपना ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा करें।

   अभ्यर्थी अपने भरे गये आवेदन फार्म के पृष्ठ की प्रति प्रिन्ट करके अपने भविष्य के सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रख ले। उन्हें आवेदन फार्म के प्रिन्ट, शैक्षिक योग्यता, जाति एवं अन्य अभिलेखों के पुष्टिकरण हेतु अभिलेखों की अभिप्रमाणित प्रतियाँ आदि अभिलेख सत्यापन के समय या जब उनसे माँगा जाये प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किये जाने के बाद अपने अभ्यर्थन वापसी का कोई अनुरोध किसी भी हालात में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3(क):– आवेदन फार्म भरने के निर्देश।

अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश जल निगम की वेब साइट **http:upjn.org/.** पर ही आवेदन करें, अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आवेदन पत्र भरने से पहले अभ्यर्थी को अपनी सुविधा हेतु अपने समस्त अभिलेख सी0डी0/डी0वी0डी0/पेन ड्राइव में, जहां प्रत्येक अभिलेख अधिकतम 80 के0बी0 के साइज का हो, जे0पी0जी0 फारमेंट पर अवश्य रख लें।

अनिवार्यः–

(1) नवीनतम रंगीन फोटो (2) अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

उपरोक्त अभिलेखों के साफ्ट प्रति की आवश्यकता ऑनलाइन आवेदन पत्र को अपलोडिंग करने एवं अंतिम रूप से जमा करने के लिए पड़ेगी। एक वैध इ–मेल आई डी एवं मोबाइल नम्बर की अनिवार्य आवश्यकता ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने हेतु होगी।

अभ्यर्थी अपना दिया गया ई–मेल आई0 डी0 एवं मोबाइल नं0 तब तक क्रियाशील रखें, जब तक परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हो जाता।

उ0प्र0 जल निगम अभ्यर्थियों को आवेदन एवं परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं पंजीकृत ई–मेल आई डी एवं मोबाइल नं0 पर ही उपलब्ध कराएगा।

कृपया ध्यान रखे कि अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियां, जिसमें आवेदक का नाम, आवेदित पद, जातिवर्ग, जन्मतिथि, पता, ई–मेल आई0 डी0 एवं मोबाइल नं0 इत्यादि भी सम्मलित है, को अन्तिम माना जायेगा।

प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र के किसी फील्ड में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन नहीं कर सकते।

निर्धारित शुल्क, आवश्यक अभिलेख एवं सूचनाएं, जो कि भर्ती प्रक्रिया में दी गई है, जमा किये बिना आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जा सकता है।

परीक्षा हेतु चयनित शहर/केन्द्र समाप्त करना अथवा कुछ अन्य शहर/केन्द्र इत्यादि को जोड़ने का अधिकार, आवेदकों की संख्या, प्रशासनिक आवश्यकता या अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए, उ0प्र0 जल निगम को होगा।

वार्णित स्थितियों में आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अत्यन्त सावधानी से भरे, क्योंकि बाद में इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन/बदलाव करने के लिये पत्राचार स्वीकार नही किया जायेगा।

3(ख):–ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु महत्वपूर्ण क्रम :–

निर्देश एवं महत्वपूर्णं लिंक आपको आवेदन पत्र भरने में आपकी सहायता करेगें। कृपया उन्हें सावधानीपूर्वक पढ़े एवं कड़ाई से पालन करें।

1. अभ्यर्थी को वेबसाइट **http:upjn.org/.** पर ही आवेदन करना होगा। अन्य किसी तरीके/ माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।
2. अभ्यर्थी के पास एक वैध व्यक्तिगत ई–मेल आई0 डी0 होना चाहिए। इसे चयन प्रकिया तक क्रियाशील रखा जाना चाहिए। यदि किसी आवेदक के पास अपना व्यक्तिगत इमेल–आई0डी0 नहीं है, तो आवेदन के पूर्व अपना इमेल–आई0डी तैयार कर लें। किसी भी हालत में वे दुसरे का इमेल आई0डी उपयोग न करें, न ही आवेदन पत्र में भरें।
3. अभ्यर्थी सबसे पहले उ0प्र0 जल निगम की वेबसाइट **http:upjn.org/.** पर जाकर “RECRUITMENT” क्लिक करें।
4. वे नया रजिस्ट्रेशन (New Registration) पर जाकर आवेदन फार्म आदि भरने की कार्यवाही करेंगे।

5. अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन फार्म में अपना मूलभूत विस्तृत विवरण एवं पद, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, भरना होगा। लागिन आई0डी0 (आवेदन का कमांक) तथा पासवर्ड (जन्मतिथि **DDMMYYYY** फार्मेट) पजीकृत मोबाइल न0 एवं ईमेल आई डी पर भेजा जायेगा। अभ्यर्थी इसे अंतिम परिणाम घोषित होने तक सुरक्षित रखें।

6. अभ्यर्थी उसके बाद आवेदन पत्र भरना जारी (Continue) रखते हुए अपने उम्र, व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता का विस्तृत विवरण भरकर लागआउट या पुनः लॉगइन आवेदन पत्र भरने हेतु करें।

7. अभ्यर्थी को (अ) अपना वर्तमान फोटोग्राफ तथा (ब) हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। इन अभिलेखों की साइज अधिकतम 80 केबी ,केवल जे0पी0जी0 (JPG) फाइल में होनी चाहिए।

8. कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) दोनों पदो ंके लिए अलग–अलग लिया जायेगा। सभी अभ्यर्थियों जिनमे द्वारा आवेदन पत्र पूर्ण करके भरा गया है, को प्राविजनल रूप में सी.बी.टी. टेस्ट मे, उनके द्वारा भरें गये विवरण के आधार पर (जिसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे अर्हता पूरी करते हैं) बैठने की अनुमति दी जायेगी। आवेदक द्वारा भरे गये समस्त विवरणों से बाद में जांच की जायेगी। किसी भी समय यदि यह प्रकाश में आता है कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी सूचनाये फर्जी/गलत/तोड़ मरोड़ कर जमा किया गया है अथवा पद से अर्हता को पूरा नहीं करता है उकी उम्मीदवारों निरस्त किया जा सकता है, भले ही उनके द्वारा परीक्षा दे ही गयी हो। इसे सबधं में उ0प्र0 जल निगम द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

9. आवेदन फीस/ प्रोसेसिंग फीस जमा करने हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुः–

   I. ऑनलाइन आवेदन फीस/प्रोसेसिंगको का भुगतान केवल किसी बैंक के ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड/केडिट कार्ड/नेट बैंकिग के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (SBI) भुगतान गेटवे (Payment Gateway) द्वारा किया जा सकेगा।

   II. ऑफ लाइन भुगतान : आवेदन पत्र/फीस भुगतान जमा करने हेतु पूर्व में प्रिन्टेड चालान उ0प्र0 जल निगम की वेबसाइट **http:upjn.org/** में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एस बी आई) पेमेन्ट गेटवे (Payment Gateway) से प्राप्त करें एवं नगद भुगतान बैंकिग समय से किसी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में करें।

   III. आवेदन/प्रोसेसिंग फी के अतिरिक्त बैंक चार्जेज का वहन अभ्यर्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

   IV. आवेदन/प्रोसेसिंग फी का एक बार भुगतान हो जाने पर यह न तो वापस/स्थानान्तरित किया जायेगा न ही भविष्य में होने वाली किन्हीं नियुक्तियों के लिए आरक्षित किया जायेगा।

   V. आवेदन फीस के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/चेक/मनीआर्डर/पोस्टल आर्डर/बैंकर चेक/पोस्टल स्टाम्प आदि स्वीकार नहीं किये जायेगें।

4. <u>आवेदन शुल्क –</u> ऑनलाइन आवेदन के अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन का प्रारूप भरने के बाद ऊपर वार्णित विधि से परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। स्टेट बैंक ई–कलेक्ट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क स्वीकार नही होगा। आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	श्रेणी	आवेदन शुल्क	बैंक चार्जेज
(1)	अनारक्षित (सामान्य)	600.00	अतिरिक्त
(2)	अन्य पिछड़ा वर्ग	600.00	अतिरिक्त
(3)	अनुसूचित जाति	300.00	अतिरिक्त
(4)	अनुसूचित जनजाति	300.00	अतिरिक्त
(5)	विकलांगजन	–––	अतिरिक्त

<u>नोट–</u> स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों, एवं महिला अभ्यर्थियों को कमांक–1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।

1. सबमिट किये गए आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि तक वे दूसरा आवेदन (सेकंड रजिस्ट्रेशन) संशोधित सूचना के साथ, पुनः आवेदन शुल्क जमा करके ऑनलाइन

सबमिट कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदो के लिए एक से अधिक आवेदन ''सबमिट'' करने की दशा में अंतिम आवेदन ही स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।

5:–अनिवार्य अर्हता(शैक्षिक):– नैत्यिक लिपिक एवं आशुलिपिक (ग्रेड–4) के पद पर भर्ती हेतु विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता निम्नालिखित हैं:–

(1)– माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(2)– हिन्दी और अंग्रेजी कम्प्यूटर टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति आवश्यक है।(टंकण हेतु हिन्दी एवं अग्रेंजी में निर्धारित समय 5–5 मिनट)

(3)– डोयक सोसाइटी(DOEACC) द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर प्रचालन में सी.सी.सी. प्रमाण पत्र अथवा निम्नांकित में से कोई अर्हता रखता हो।

(क) माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के साथ–साथ केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था/शिक्षा बोर्ड/परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस विषय लिया गया हो।

(ख) कम्प्यूटर साइंस में डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त की गई हो (AICTE अथवा UGC द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान की डिग्री/डिप्लोमा ही मान्य होगा)।

(4)– आशुलिपिक पद के लिए हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि। (आशुलिपि के लिए निर्धारित 05 मिनट की Dictation को 40 मिनट में कम्प्यूटर पर टंकण किया जाना होगा)।

(5)– अधिमानी अर्हता:– उपर्युक्त पदो के लिए अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने:–

1– प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या

2– राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

6– आयु सीमा:– आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 अगस्त 2016 है और उक्त तिथि को अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिये अर्थात उसका जन्म 02 अगस्त 1976 से पूर्व तथा 01 अगस्त 1998 के बाद न हुआ हो।

(1)– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी ।

(2)–शासनादेश दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(3)–शासनादेश के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट 01 अगस्त 2016 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटा कर, परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो। आवेदन की अंतिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है।

(4)– समाज के विकलाँगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन, नवीनतम विद्यमान शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

7– आरक्षण– उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों, क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा–उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/ विकलांगजनों, भूतपूर्व सैनिक, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों का विवरण ऊपर अंकित किया जा चुका है।

नोट– आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के विभिन्न परिशिष्ट में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, खेल–कूद प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि तक अवश्य प्राप्त कर लिया गया हो,अपने पास सुरक्षित रखें एवं उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करें।

8– चयन का आधार– लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है। प्रश्नगत पदों पर चयन ''उत्तर प्रदेश जल निगम मिनिस्ट्रियल अधिष्ठान सेवा नियमावली–1981'' एवं इसमें किये गये नवीनतम संशोधन के प्राविधानों के अंतर्गत होगें। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा की तिथि के संबंध में यथा समय आवेदक के मोबाइल एवं ई–मेल पते पर सूचित किया जाएगा। नैत्यिक लिपिक एवं आशुलिपिक के पदों पर चयन किए जाने हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम निम्नवत है :–

चयन के लिए कुल एक सौ अंक होंगे चयन हेतु अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची निम्नलिखित रीति में तैयार की जायेगी।

(1)– प्रथम चरण– लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की चालीस अंको की होंगी।
(क) परीक्षा के विषय अधिकतम अंक और दिया गया समय नीचे दिये अनुसार होगा।

क्रमांक	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	समयावधि
भाग–1	हिन्दी परिज्ञान और लेखन योग्यता	40	20	एक घंटे की अवधि का संयुक्त प्रश्नपत्र।
भाग–2	समान्य बुद्धि परीक्षण	20	10	
भाग–3	सामान्य जानकारी	20	10	
	योग	80	40	

भाग–1 हिन्दी परिज्ञान और लेखन योग्यता

उम्मीदवारों से हिन्दी भाषा ज्ञान तथा उनके समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जायेंगे।

भाग–2 सामान्य बुद्धि परीक्षण

इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति के समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने तथा तर्क करने की योग्यता को मापना है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे, जो अनुदेशों को समझने, संबंधो, समानताओं तथा संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे।

भाग–3 सामान्य जानकारी

प्रश्न–पत्र का यह भाग उम्मीदवारों की चारों ओर के वातावरण के बारे में उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता (विशेषकर भारत से संबंन्धित) एवं उनके वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान ऑकने के लिये है, जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न भी रखे जाएंगे जिनसे ऐसी सामयिक घटनाओं तथा प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने तथा अनुभव में आने वाले तथ्यों जिनमें ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य भी सम्मिलित हो सकते है।

(ख)– शैक्षिक एवं अन्य योग्यता हेतु निर्धारित अंक :–

(1)– शैक्षिक अर्हता के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नालिखित रीति से अंक प्रदान किए जायेंगेः–

	शैक्षिक अर्हता	प्राप्त अंको का प्रतिशत	प्रदान किए जाने वाल अंक
एक	इंटरमीडिएट	साठ प्रतिशत और इसके ऊपर	बीस अंक
		पैंतालीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम	पंद्रह अंक
		तैंतीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु पैंतालिस प्रतिशत से कम	दस अंक
दो	स्नातक उपाधि	साठ प्रतिशत और इसके ऊपर	दस अंक
		पैंतालीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम	आठ अंक
		तैंतीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु पैंतालीस प्रतिशत से कम	पाँच अंक

(2)– किसी खिलाड़ी को अधिकतम पाँच अंकों के अध्याधीन निम्नलिखित रीति से अंक दिया जाएगा :–

एक	यदि अभ्यर्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो।	पाँच अंक
दो	यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो।	चार अंक
तीन	यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो।	तीन अंक
चार	यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो।	दो अंक

लिखित, शैक्षिक अर्हता एवं खेल–कूद के विरूद्ध प्राप्त अंको के आधार पर मैरिट सूची तैयार की जायेगी इस मेरिट सूची से विभिन्न श्रेणियों हेतु कट–ऑफ अंक तय किये जायेगें। कट–ऑफ अंक एवं अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को टंकण टेस्ट(आशुलिपिक पद के अभ्यर्थियों को आशुलिपि टेस्ट सम्मलित करते हुये) हेतु बुलाया जायेगा।

(2)– द्वितीय चरण– प्रथम चरण में सफल हुये अभ्यर्थी को टंकण (आशुलिपिक पद के अभ्यर्थियों को आशुलिपि टेस्ट सम्मिलित करते हुये) टंकण टेस्ट के लिए बुलाया जायेगा। परीक्षा कम्प्यूटर/लैपटाप पर होगी, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। निर्धारित न्यूनतम अर्हता, जिसका वर्णन अनिवार्य अर्हता शीर्ष में किया जा चुका है, न प्राप्त करने वाले अभ्यथियों को

प्रथम चरण के विरूद्ध तैयार की गई मैरिट सूची से हटा दिया जायेगा तथा शेष में से नियुक्ति नियमावली के प्राविधानों के अनुसार मेरिट कम में साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा।

(3) तृतीय चरण साक्षात्कार– 25 अंकों का होगाः–

09–चयन– उपरोक्त वार्णित 100 अंको के आधार पर श्रेणीवार अंतिम मेरिट सूची तैयार की जायेगी। अन्तिम मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा। विद्यमान शासनादेशों के अनुसार आरक्षित वर्ग के (क्षैतिज आरक्षण को छोड़कर) जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में चयनित होंगे, उन्हें आरक्षित वर्ग की सूची में सम्मलित नही किया जायेगा। क्षैतिज आरक्षण की गणना मैरिट सूची के प्रारम्भ होने के समय से ही शासनादेश के प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

10–अभ्यर्थियों के लिये सामान्य अनुदेश–

(1) उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

(2) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेंगी।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक , विकलांगजन, तथा महिला अभ्यर्थियों, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(4) वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाडी तथा भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेगें अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा किया गया दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण–पत्र, जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य नही होगा।

(6) ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भुतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथासंशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के साथ संलग्न प्रारूप पर तथा यह कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के अधिवासी है या फिर वह तथा अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का (1) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) अथवा (2) पौत्र अर्थात (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) या पौत्री अर्थात (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) विवाहित या अविवाहित हैं।

(7) ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण–पत्र, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–18/1/2008–का–2–2008, दिनांक 03 फरवरी 2008 में निर्धारित प्रारूप पर तथा यह की उक्त प्रमाण–पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

(8) जो अभ्यर्थी केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं, वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें जिसे मांगे जाने पर उत्तर प्रदेश जल निगम में को प्रस्तुत करना होगा। प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण–पत्र आवश्यक नहीं है, परन्तु इस आधार पर विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालवाधित माना जाएगा।

(9) राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ०प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2–ई.एम. /2001–का–4–2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

(10) ऐसे पुरूष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएगें बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।

(11) अभ्यर्थी के अर्ह/अनर्ह होने के संबंध में उत्तर प्रदेश जल निगम का निर्णय अन्तिम होगा।

(12) चयनित महिलाओं, उ०प्र० स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांगजन को (केवल चिन्हित पदो के सापेक्ष कोटा बनने पर) आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं।

(13) आवेदन स्वीकार किए जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अल्लिखित पदो के सापेक्ष बिन्दु–5 में विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए।

11– <u>अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश –</u>

1– किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण–पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर उ0प्र0 जल निगम की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

2– ऑनलाइन आवेदन '' सबमिट'' हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जेंडर (लिंग) आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सुचनाएँ सही–सही भरें। गलत जेंडर (लिंग) भरने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः गलत जेंडर (लिंग) न भरें। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गयी सूचनाएँ अन्तिम है, इसमें उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा संशोधन किया जाना सम्भव नहीं है।

3– हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण–पत्र में अंकित नाम एवं जन्मतिथि ही मान्य होगी। नाम एवं जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण–पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

4– आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण–पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।

5– परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्दों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेंगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

6– जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्ह नहीं पाये जायेंगें उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जल निगम का निर्णय अन्तिम होगा।

7– आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन ''सबमिट'' नहीं होगा।

8– निर्धारित साइज़ की फोटो अपलोड न करने तथा निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर न करने अथवा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने पर अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

9– अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपलोड किये गये फोटोग्राफ की 06 प्रतियाँ, भविष्य में उपयोग हेतु सुरक्षित रख लें।

10– उत्तर प्रदेश जल निगम अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारंभिक स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि नियुक्ति भी कर दिया हो तो नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। आवेदक आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखे। उ0 प्र0 जल निगम में आवेदन की हार्ड कापी भेजे जाने की आवश्यक्ता नही है। साक्षात्कार के समय हार्ड कापी की एक प्रति अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करना होगा।

11– कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवेहलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

12– नियुक्त हेतु चयनित अभ्यर्थियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा तथा परीक्षण रिर्पोट कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13– ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन ''सबमिट'' करने की अन्तिम तिथि तक वाँछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं, वह इस परीक्षा में आवेदन न करे क्योंकि वह पात्र नहीं हैं। उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं होगा।

14– उत्तर प्रदेश जल निगम अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते है। इसलिये उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वे संतुष्ट हो जाये कि वे विज्ञापन की शर्तो के अनुरूप वे अर्ह हैं।

15– किसी अनाचार/कदाचार , किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के सम्बन्ध में सिफ़ारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन/नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार उत्तर प्रदेश जल निगम का होगा।

16– आवेदन स्वीकार ''सबमिट'' किये जाने/ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 11.07.2016 है। परीक्षा शुल्क बैक में जमा करने की अन्तिम तिथि 12.07.2016 है।

17– किसी विवाद की स्थिति में न्यायपालिका क्षेत्र लखनऊ ही मान्य होगा।

18– आवेदक महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों की जानकारी हेतु हमेशा उ0प्र0 जल निगम की वेबसाइट **http:upjn.org/** के संपर्क में रहें। मॉक टेस्ट हेतु यह वेब–साईट जुलाई के प्रथम सप्ताह से प्रयोग की जा सकती है। योग्य अभ्यर्थी , जिनके आवेदन पत्र मास्टर लिस्ट में उपलब्ध हों तथा जिन्हें ऑनलाइन परीक्षा हेतु प्रवेशपत्र समय से न प्राप्त हो, वे इसे उत्तर प्रदेश जल निगम की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है।

उत्तर प्रदेश जल निगम ,
लखनऊ

उ0प्र0 के विकलांगों के लिये प्रमाण–पत्र

CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITIUTE/HOSPITAL
Certificate No……………………………………..
DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/smt./kum. …………………………..Son/Wife/ Daughter of Shri……………………………………age……….………Sex…..…………… identification mark (S)……………………. is suffering from permanent disability of following category.

A. Loco motor of cerebral palsy:
   (i)BL-Both legs affected but not arms.
   (ii) BA-Both arms affected
      (a) Impaired reach
      (b) Weakness of grip
   (iii) BLA-Both legs and both arms affected
   (iv) OL-One leg affected (right or left)
      (a) Impaired reach
      (b) Weakness of grip
      (c) Ataxic
   (v) OA-One arm affected
      (a) Impaired reach
      (b) Weakness of grip
      (c) Ataxic
   (vi) BH-Stiff back and hips (cannot sit or stoop)
   (vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision:
   (i) B-Blind
   (ii) PB-Partialy Blind

C. Hearing Impaiment
   (i) D-Deaf
   (ii) PD-Partialy Deaf
   (Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of ……….......year……………….months.
3. Percentage of disability in his/her case is ………………………percant.
4. Sh./Smt./Kum……………………………………meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

(i)	F-can perform work by manipulating with figers.	Yes/No
(ii)	PP-can perform work by pulling and pushing.	Yes/No
(iii)	L-can perform work by lifting.	Yes/No
(iv)	KC-can perform work by kneeling and couching.	Yes/No
(v)	B-can perform work by bending.	Yes/No
(vi)	S-can perform work by sitting.	Yes/No
(vii)	ST-can perform work by standing.	Yes/No
(viii)	W-can perform work by walking.	Yes/No
(ix)	SE-can perform work by seeing.	Yes/No
(x)	H-can perform work by hearing/speaking.	Yes/No
(xi)	RW-can perform work by reading and writing.	Yes/No

(Dr. ……………)
Member
Medical Board

(Dr. ……………)
Member
Medical Board

(Dr. ……………)
Chairpersion
Countersingned by the Medical Superintendent CMO/HQ Hospital (with seal)

Strike out which is not applicable.

<u>उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. सुपुत्र/सुपुत्री श्री ....निवासी ग्राम..तहसील.................. ....नगर...जिला..............................उत्तर प्रदेश राज्य की ....पिछड़ी जाति के व्यक्ति है यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पूर्वोव्रत अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया हैं एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता–पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय 8 लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी...तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम..................................तहसील.....................................नगर....................................जिला......................................में सामान्यता रहता है।

स्थान.. हस्ताक्षर...
दिनाँक....................................... पूरा नाम...
मुहर....................................... पद का नाम..

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

उ0प्र0की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित, जन जाति के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..सुपुत्र/सुपुत्री श्री................ ....निवासी ग्राम.....................................तहसील..............................नगर..........................जिला.............................उत्तर प्रदेश राज्य की ....जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय) पर संशोधित हुआ/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम..तहसील.......................................नगर................................जिला....................................में सामान्यता रहता है।

स्थान.. हस्ताक्षर..

दिनाँक....................................... पूरा नाम..

मुहर.. पद का नाम..

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र जो उ0प्र0 के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या–22/21/1983–कार्मिक–2 दिनाँक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण–पत्र के फार्म–1 से 4

प्रारूप

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिता के भाग होने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिऐशन का नाम ....राज्य सरकार की सेनाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ....निवासी ....पूरा पता.................................. ने दिनाँक................................से दिनाँक ....तक............................(स्थान का नाम) में आयोजित .... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामन्ट में ....स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/ राष्ट्रीय ऐसोशिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जायें)...................................में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान..

दिनाँक.......................................

हस्ताक्षर...

नाम...

पद...

संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोटः– यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडऐशन/नेशनल ऐसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

<u>प्रारूप</u>

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बंधित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम ....राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.......................आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री..................... निवासी(पूरा पता) –ने दिनांक ....से दिनांक.................तक में (क्रीड़ा / खेल कूद का नाम) की प्रतियोगिता(टूर्नामेंट स्थान का नाम.......................... आयोजित राष्ट्रीय......................में उनकी टीम के द्वारा उक्त प्रतियेग्गिता / टूर्नामेंट में ....स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र ....(प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान......................

दिनांक...........................

हस्ताक्षर.........................

नाम................................

पद.................................

संस्था का नाम...........

पता...............................

मुहर................................

नोट– यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

<u>प्रारूप</u>

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविधालय की ओर से अर्न्तविश्वविधालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविधालय का नाम ....राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्त के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.......................आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..................... निवासी(पूरा नाम) .... विश्वविधालय की कक्षा .... के विधार्थी ने दिनांक ....से दिनांक................तक.................(स्थान का नाम) में आयोजित अर्न्तविश्वविधालय..................... (क्रीड़ा/खेल कूद का नाम) प्रतियोग्रिता/टूर्नामेंट में ....विश्वविधालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में................स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र डीन आफ स्पोर्टस् अथवा इन्चार्ज खेल कूद .... विश्वविधालय मे उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान......................	हस्ताक्षर.........................
दिनांक...........................	नाम................................
पद................................	संस्था का नाम...........
	मुहर................................

<u>प्रारूप</u>

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्शट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश............................राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी......................आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री.................... निवासी(पूरा पता) दिनांक................................तक....................(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलो के नेशनल गेम्स की .... (क्रीड़ा/खेल कूद का नाम) को प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ....स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में.. ....स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्शट्रक्शन्स/ शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान.....................   हस्ताक्षर........................

दिनांक..........................   नाम..............................

पद...............................

संस्था का नाम..........

पता...............................

मुहर...............................

नोट– यह प्रमाण–पत्र निदेशक / या अतिरिक्त या संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्शट्रक्शन्स/ शिक्षा रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

सचिव

परिशिष्ट–8

उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी...निवासी ....ग्राम..................................तहसील......................................नगर.....................................जिला.......................................उत्तर प्रदेश लोक सेवा(शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित)..पुत्र / पुत्री / पोत्र / पोत्री विवाहित / अविवाहित उपरांकित अधिनियम 1993 के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)... के आश्रित है।

हस्ताक्षर...	पूरा नाम...
स्थान...	मुहर ....
दिनाँक......................................	जिलाधिकारी..
	सील..